



हरियाणा सरकार



Subject- Calling of Sitting of the Haryana Vidhan Sabha under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

उपरोक्त विषय पर कार्यालय के पत्र क्रमांक—**No.HVS-LA-90/2024/25916-56** के संदर्भ में।

विषय संबंध में दिनांक 13.11.2024 से विधानसभा सत्र का आरंभ हो रहा है। सेशन के दौरान अधिकारी महोदय सुनिश्चित करें कि दिनांक 07.11.2024 से सत्र की समाप्ति तक किसी भी कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत न करें और न ही स्वयं अवकाश लेंगे तथा मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित रहें।

अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि सभी अधिकारी/कर्मचारी विधानसभा सत्र के दौरान अपनी-अपनी सीटों पर उपलब्ध रहें ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी तिथिबद्ध आवश्यक कार्य को निपटाने में किसी भी प्रकार की असुविधा व बाधा उत्पन्न न हो। देरी से आने वाले/अपनी सीटों पर उपस्थित न पाए जाने वाले, कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

अतः आपको आदेश दिए जाते हैं कि कोई भी अवकाश स्वीकृत ना किया जाए व किसी भी प्रकार की कोई कोताही/लापरवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

कृपा इसे परम अग्रता दें।

मनीराम शर्मा, आई0ए0एस0
श्रम आयुक्त, हरियाणा, चंडीगढ़।

दिनांक— 06-11-2024

पृष्ठांकन क्रमांक— 2227-55/PA/LC

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्रम विभाग, हरियाणा, सूचनार्थ।
2. श्रम विभाग, हरियाणा, मुख्यालय व क्षेत्रीय सभी अधिकारी व कर्मचारी।
3. हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, मुख्यालय व क्षेत्रीय, सभी अधिकारी व कर्मचारी।।
4. हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड हरियाणा, मुख्यालय व क्षेत्रीय सभी अधिकारी व कर्मचारी।
5. ई0एस0आई0, मुख्यालय व क्षेत्रीय सभी अधिकारी व कर्मचारी।